

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3595

दिनांक 06/10/2025

उपवानी प्रकरण- गोविन्दराम बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या- 145 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 19 / भू.अ. / 2025 दिनांक 20/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम नांगल पटवार हल्का नांगल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 261 में खातेदार गोविन्दा पुत्र लि दामण जाति जाट के स्थान पर गोविन्दा डर्फ गोविन्दराम पुत्र लि दामण का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का नांगल उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(अनिल कुमार) कारी  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3596-97

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का नांगल तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

